संख्या:-75/2016/2603/33-3-2016-154/2014

प्रेषक,

राहुल भटनागर

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ, दिनांक: 07 अक्टूबर, 2016**

विषय: ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश सख्ंया: 2856/33-3-2014-154/2014 दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के द्वारा ग्राम पंचायतों को 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग जहां कहीं आवश्यकता हो, ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शौचालयों के मरम्मत किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। वर्तमान में 13वें वित्त आयोग समाप्त होने के उपरान्त 14वें वित्त आयोग प्रभावी है। शासनादेश संख्या: 234/33-3- 2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी, 2016 के अनुसार 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियो के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि अपने क्षेत्रान्तर्गत मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल सुविधा, स्वच्छता आदि पर व्यय की जा सकती है।

पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च, 2006 तक निर्मित शौचालय विहीन विद्यालयों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया है तथा उसके पश्चात् निर्मित शौचालय विहीन विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस शासनादेश को अपलोड करनेमें कतिपय त्रुटि हो गयी थी। अत यह शासनादेश पुन- नये नम्बर पर अपलोड किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.nic.in

कराया गया है। समस्त विद्यालयों में बालक व बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय यूनिट का निर्माण कराया गया है। यह अनुभव किया जा रहा है कि विद्यालयों में निर्मित शौचालय ध्वस्त की स्थिति में होने, शौचालयों में रनिंग वाटर की व्यवस्था न होने अथवा शौचालयों की मरम्मत के अभाव में अक्रियाशील हैं, जिससे उनके उपयोग करने में कठिनाई आ रही है या उपयोग नहीं किया जा रहा है।

अत: प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालयों को क्रियाशील बनाये रखने के लिये निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1) समस्या के निदान हेतु यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग जहां कहीं आवश्यकता हो, ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शौचालयों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के साथ-साथ शौचालयों में रनिंग वॉटर की व्यवस्था हेतु भी किया जायेगा। शौचालयों के पुनर्निर्माण/ मरम्मत/जीर्णोद्धार की आवश्यकता होने पर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी इस पर दृष्टि रखी जायेगी तथा कोई भी कमी पाये जाने पर सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी(पं0) को सूचित किया जायेगा।

(2) ग्राम पंचायत की प्लान प्लस की कार्ययोजना मे स्कूल शौचालय मरम्मत की कार्ययोजना सम्मिलित न होने की स्थिति मे संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्कूल शौचालय मरम्मत की कार्ययोजना अनुपूरक कार्ययोजना के रूप मे प्लान प्लस मे सम्मिलित कर शौचालय मरम्मत का कार्य कराये जाये।

(3) पंचायतीराज विभाग द्वारा समस्त राजस्व ग्रामों में सफाई कर्मियों की तैनाती की गयी है। इन कमियों के जॉब-चार्ट के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या: 1672/33-1-2009 दिनांक 09 जून, 2009 में स्कूल शौचालयों के सफाई का दायित्व सम्बन्धित सफाई कर्मियों को सौंपा गया है। अत: सफाई कर्मियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन स्कूल शौचालयों की सफाई सुनिश्चित कराने का दायित्व ग्राम पंचायत/जिला पंचायत राज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस शासनादेश को अपलोड करनेमें कतिपय त्रुटि हो गयी थी। अत यह शासनादेश पुन- नये नम्बर पर अपलोड किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी का होगा। सफाई कर्मी द्वारा अपने उक्त दायित्व का निर्वहन न करने पर सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा, जो सफाई कर्मी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को अवगत करायेंगे। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि एक निश्चित समय पर शौचालय में लगा ताला खोल दिया जाये ताकि सफाई कर्मी उस समय शौचालय की सफाई का कार्य कर सकें।

(4) परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालयों के प्रयोग तथा स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग एवं रखरखाव के सम्बन्ध में राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् हैं:-

i. शौचालयों के प्रयोग हेतु यह सुनिश्चित किया जाये कि शौचालय में मग तथा पानी की समुचित सुविधा उपलब्ध हो। शौचालय में पचांयती राज विभाग/सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लगाये गये ओवर हेड टैंक के माध्यम से जल की व्यवस्था हो तथा जिन विद्यालयों में ओवर हेड टैंक उपलब्ध न हो वहां शौचालयों में केन/बाल्टी में पानी रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

ii. शौचालयों की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री, यथा- फिनायल, चूना आदि विद्यालय विकास अनुदान से क्रय की जायेगी। साथ ही शौच के बाद हाथ धोने हेतु साबुन आदि की व्यवस्था भी विद्यालय विकास अनुदान से की जायेगी।

iii. विद्यालय के शौचालयों की सफाई एवं उन्हें क्रियाशील बनाये रखने का दायित्व विद्यालय के शिक्षक का होगा, जिसे शिक्षक सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सफाई कर्मी के सहयोग से मिलकर करेंगे।

iv. प्रत्येक विद्यालय में एक अध्यापक को स्वच्छता की गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु नोडल बनाया जाये। शिक्षक का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि समस्त छात्र-छात्रायें शौचालय का प्रयोग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस शासनादेश को अपलोड करनेमें कतिपय त्रुटि हो गयी थी। अत यह शासनादेश पुन- नये नम्बर पर अपलोड किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.nic.in

करें व खुले में शौच न जायें। विद्यालयों में पढ़ाई होने के दिनों में पूरे समय शौचालय विद्यार्थियों के प्रयोगार्थ खुला रहेगा तथा उसमें ताला नहीं बन्द किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्गत निर्देश यथावत् रहेंगे।

(4) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मरम्मत एवं रख-रखाव अनुदान की धनराशि का उपयोग विद्यालय के शौचालय की मरम्मत हेतु नहीं किया जायेगा, किन्तु केवल विशेष परिस्थिति में विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के मापदण्डों/मानकों के अनुसार इस अनुदान की धनराशि का उपयोग विद्यालय शौचालय की मरम्मत हेतु किया जा सकता है।

(5) जिला पंचायत राज अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से विद्यालयों में निर्मित शौचालयों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिये उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रगति का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा।

(6) वर्तमान में मरम्मत योग्य शौचालयों की मरम्मत का कार्य एक माह में अभियान चलाकर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन आख्या प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की जायेगी।

(7) उप जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण करने के समय शौचालयों का क्रियाशील होना सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाइर्् से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)

मुख्य सचिव

संख्या:2603/33-3-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस शासनादेश को अपलोड करनेमें कतिपय त्रुटि हो गयी थी। अत यह शासनादेश पुन- नये नम्बर पर अपलोड किया जा रहा है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
9. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
13. समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. राज्य प्रतिनिधि, यूनीसेफ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस शासनादेश को अपलोड करनेमें कतिपय त्रुटि हो गयी थी। अत यह शासनादेश पुन- नये नम्बर पर अपलोड किया जा रहा है।